न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 449 / 2024

अनवान : –

1. कान्ता देवी पत्नी इन्द्राज जात जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. गोरधन सिंह पुत्र चानण सिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. जगदीश सिंह पुत्र चानण सिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. भंवरसिंह पुत्र चानण सिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. हरिसिंह पुत्र चानण सिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
5. वीणा पत्नी सन्तलाल जाति छिपा (छीपी) निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
6. देवेन्द्र कुमार पुत्र विजय सिंह जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
7. सुनील कुमार पुत्र विजय सिंह जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
8. रेशमा पत्नी देवेन्द्रपाल सिंह जाति जाट निवासी खबरपुरा तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
9. राव सुनील कुमार पुत्र रामपाल राव जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
10. लक्ष्मीराव पत्नी सुनील कुमार जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 21/6/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 730 / 732 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 16.9460 है0 भूमि वादीया व प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि बाबत वादी व प्रतिवादीगण ने राजीनाम(समझोता) किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 730 / 732 की कुल तादादी 16.9460 है0 में से खसरा नं. 384 की 6.354 है0 भूमि पर वादीया काबिज है तथा खसरा नं. 384 की 2.118 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ब0 हि0 ब0 काबिज है व खसरा नं. 384 की 1.771 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 5 काबिज है व खसरा नं. 384 की 1.2650 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं खसरा नं. 384 की 0.190 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 8 काबिज है व खसरा नं. 384 की [illegible] / 384 की 0.316 है0 कुल 2.033 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 9 का[illegible]5 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 10 काबिज है। वादीया जि[illegible]षणा करवाकर रा[illegible]रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:30:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को मुताबिक बाहमी बंटवारा उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 10 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी बंटवारा हो चुका है एवं मुताबिक बंटवारा ही वाद भूमि पर उभयपक्ष काबिज है जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवाना चाहता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 730/732 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 16.9460 है0 भूमि वादीया व प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादी वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी बंटवारा हो चुका है एवं मुताबिक बंटवारा ही वाद भूमि पर उभयपक्ष काबिज है जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवाना चाहता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:30:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता संख्या 730/732 की कुल तादादी 16.9460 है0 में से खसरा नं. 384 की 6.354 है0 भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, खसरा नं. 384 की 2.118 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खसरा नं. 384 की 1.771 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, खसरा नं. 384 की 1.2650 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, खसरा नं. 384 की 0.190 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खसरा नं. 384 की 1.717 है0 व खसरा नं. 902/384 की 0.316 है0 कुल 2.033 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खसरा नं. 384 की 3.215 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 को खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथाव रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीय नक्शा तरमीम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/6/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:30:40 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 449/2024

अनवान : –

1. कान्ता देवी पत्नी इन्द्राज जात जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. गोरधन सिंह पुत्र चानण सिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. जगदीश सिंह पुत्र चानण सिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. भंवरसिंह पुत्र चानण सिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. हरिसिंह पुत्र चानण सिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
5. वीणा पत्नी सन्तलाल जाति छिपा (छीपी) निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
6. देवेन्द्र कुमार पुत्र विजय सिंह जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
7. सुनील कुमार पुत्र विजय सिंह जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
8. रेशमा पत्नी देवेन्द्रपाल सिंह जाति जाट निवासी खबरपुरा तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
9. राव सुनील कुमार पुत्र रामपाल राव जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
10. लक्ष्मीराव पत्नी सुनील कुमार जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 449 सन 2024 निर्णय दिनांक 21/06/2026

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता संख्या 730/732 की कुल तादादी 16.9460 है0 में से खसरा नं. 384 की 6.354 है0 भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, खसरा नं. 384 की 2.118 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खसरा नं. 384 की 1.771 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, खसरा नं. 384 की 1.2650 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, खसरा नं. 384 की 0.190 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खसरा नं. 384 की 1.717 है0 व खसरा नं. 902/384 की 0.316 है0 कुल 2.033 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खसरा नं. 384 की 3.215 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 को खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथाव रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीय नक्शा तरमीम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/6/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:30:40 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर